न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 34/2025

जीसीएमएस. रजि. संख्या : 2025/124

प्रार्थीपक्ष :–

श्री रुपलाल पिता श्री विजय पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग प्रथम, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र पाटीदार
(अधिवक्ता अपीलार्थी)

विभागीय पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक :– 09–02–2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी श्री रुपलाल पिता श्री विजय पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग प्रथम, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.08.2022 को जांच की जाकर दिनांक 26.08.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, पोस कोड 6228 व 6235 के दर्ज स्टॉक 43.28 क्विंटल गेंहू, 122 कि.ग्रा चीनी गौदाम में नही मिले। डिलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 26.08.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन अधिकारी आनन्दपुरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रुपलाल/ विजय अपीलार्थी द्वारा बरजडीया भाग प्रथम के वितरण कार्य हेतु अस्थाई रुप से अधिक छाजा भाग द्वितीय के डीलर प्रकाश/ बसंतलाल को 1271.400 किलो गेंहू सुर्पूद कर दिये गये स्टॉक में होना बताकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1284/05 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा के प्रकरण सं. 61/2022 में निर्णय दिनांक 16.01.2023 से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने अपील के साथ अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 11.12.2025 को रेस्पोडेंट की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा रूपलाल/विजय उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग–प्रथम के विरूद्ध दिनांक 23.08.2022 को शिकायत की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं के लिये डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 61/2022 दर्ज कर डीलर का प्राधिकार–पत्र 1284/2005 निलम्बित किया गया। साथ ही डीलर को कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.09.2022 जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब नही दिया जाकर दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। जवाब में उसके द्वारा बिना किसी प्रमाण के समस्त आरोपो को नकारा गया है। डीलर द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। डीलर को कारण बताओं नोटिस दिया जाकर सूनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर अनियमितताओं के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर राशन सामग्री का वितरण नही किया जाना व समय पर दुकान नही खोलना पाया गया। उपभोक्ताओं के फिंगर लगवाने के बाद माह के अन्तिम सप्ताह में वितरण करना पाया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित एस. बी. सिविल रिट्स 1256/2023 रूपलाल/विजय कुमार बनाम राज्य सरकार के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2023 को अंतरिम आदेश जारी कर डीलर का प्राधिकार–पत्र बहाल करने के निर्देश जारी किए गए है। इस कार्यालय द्वारा रूपलाल/विजय कुमार के द्वारा 345.79 क्विं गेहूँ एवं 122 किग्रा चीनी का गबन व दुरूपयोग किये जाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थान आनन्दपुरी में एफआईआर संख्या 246 दिनांक 24.09.2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण संख्या 61/2022 में दिनांक 16.01.2023 को निर्णय किया जाकर उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त कर दिया गया है।

डीलर के दुकान/गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर पोस कोड 6228 में दर्ज स्टॉक एवं गोदाम में स्थित स्टॉक का मिलान करने पर पोस मशीन में पीएमजीकेवाई का 40.18 क्विं गेहूँ एवं एनएफएसए का 46.64 क्विं गेहूँ कुल 86.82 क्विं गेहूँ एवं 122 कि.ग्रा चीनी स्टॉक में प्रदर्शित थी। परन्तु गोदाम में 32.50 क्विं गेहूँ ही पाया गया। इस प्रकार कुल 54.32 क्विं गेहूँ गोदाम मे कम पाया गया एवं 122 कि.ग्रा चीनी भी नही पाई गई। साथ ही माह अगस्त 2022 में वितरण हेतु दिनांक 13.07.2022 को पीएमजीकेएवाय का गेहूँ [illegible] मात्रा 58.14 क्विं चालान नम्बर CHAW00009807858 रिलीज ऑर्डर नम्बर 1494 [illegible] द्वारा आपूर्ति किया था एवं दिनांक 26.07.2022 को आपूर्ति किया गया 43 क्विं. 28 किग्रा. गेहूँ (चालान संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

CHAW00009726708 रिलीज ऑर्डर नम्बर 1494 ट्रक नम्बर RJ03GA3947 गेहूँ मौके पर गोदाम में नहीं पाया। इस प्रकार डीलर के गोदाम में माह जुलाई 2022 में वितरण से शेष 54.32 क्वि. एवं माह जुलाई 2022 के पेटे आंवटित एवं माह अगस्त 2022 मे वितरण हेतु पीएमजीकेएवाय योजना का अतिरिक्त 58.14 क्वि. गेहूँ एवं माह अगस्त 2022 का नियमित गेहूँ 43.28 क्वि. गेहूँ डीलर के गोदाम में नहीं पाया गया। जिसकी कुल मात्रा 54.32+58.14+43.28=155.74 क्वि. गोदाम में होनी चाहिए थी जो भौतिक सत्यापन पर गोदाम में नहीं पाया गया। साथ ही 122 किग्रा. चीनी गोदाम में नहीं पायी। इस प्रकार डीलर द्वारा 155.74 क्वि. गेहूँ एवं 122 किग्रा. चीनी को खुर्द–बुर्द किया जाना पाया। इस पर डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 323–29 दिनांक 26.08.2022 द्वारा उसका प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया। रूपलाल द्वारा बरजडिया भाग–प्रथम के साथ ही ग्राम पंचायत छाजा भाग–द्वितीय पोस मशीन कोड नम्बर 6235 का वितरण कार्य भी अस्थाई रूप से किया जा रहा था। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 331 दिनांक 26.08.2022 द्वारा बरजड़िया भाग–प्रथम के लिए ढोढ़िया के डीलर लक्ष्मण/गोतमा को अधिकृत किया गया एवं छाजा भाग–द्वितीय के लिए डोकर भाग–तृतीय के प्रकाश/बसन्तलाल को अधिकृत किया गया।

रूपलाल द्वारा बरजडिया भाग–प्रथम का 158.26 क्वि. गेहूँ का 122 किग्रा. चीनी एवं छाजा भाग–द्वितीय का 187.53.500 क्वि. गेहूँ, कुल 345 क्वि. 79 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ एवं 122 किग्रा. चीनी का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। डीलर द्वारा 345 क्वि. 79 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ एवं 122 किग्रा. चीनी का गबन एवं दुरूपयोग करना पाया जाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवशयक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 एवं 17सी तथ्यों के आधार पर ही उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

दिनांक 28.01.2026 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 16.01.2023 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 28.10.2025 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार एक वर्ष नौ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय और कानून की जानकारी नहीं थी एवं कोरोना काल होने से अपील में देरी का कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभय पक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रुप से कथन किया कि अपीलार्थी श्री रुपलाल पिता श्री विजय पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग प्रथम, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.08.2022 को जांच की जाकर दिनांक 26.08.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, पोस कोड 6228 व 6235 के दर्ज स्टॉक 43.28 क्विंटल गेंहू, 122 कि.ग्रा चीनी गौदाम में नही मिले। डिलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 26.08.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन अधिकारी आनन्दपुरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रुपलाल/ विजय अपीलार्थी द्वारा बरजडीया भाग प्रथम के वितरण कार्य हेतु अस्थाई रुप से अधिक छाजा भाग द्वितीय के डीलर प्रकाश/ बसंतलाल को 1271.400 किलो गेंहू सुर्पूद कर दिये गये। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1284/05 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत मात्र जवाब के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूति समस्त राशि जब्त सरकार करने के आदेश किये गए है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. सिविल रीट पीटीशन नं.1256/2023 में आदेश दिनांक 23.01.2023 अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित किया है। एस.बी सिविल रीट पीटीशन नं. 18717/2025 में निर्णय दिनांक 25.09.2025 से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का निर्णय दिनांक 16.01.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1284/20025 को पुनः बहाल किया जावे।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी द्वारा रूपलाल/विजय उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग–प्रथम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

विरूद्ध दिनांक 23.08.2022 को शिकायत की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं के लिये डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 61/2022 दर्ज कर डीलर का प्राधिकार–पत्र 1284/2005 दिनांक 26.08.2022 को निलम्बित किया गया साथ ही प्रकरण दर्ज कर डीलर को कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.09.2022 जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब नही दिया जाकर दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आगामी सुनवाई दिनांक पर अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। जांच रिपोर्ट अनुसार रूपलाल द्वारा बरजडिया भाग–प्रथम का 158.26 क्वि. गेहूँ का 122 किग्रा. चीनी एवं छाजा भाग–द्वितीय का 187.53.500 क्वि. गेहूँ, कुल 345 क्वि. 79 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ एवं 122 किग्रा. चीनी का गबन एवं दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित पाया गया। डीलर द्वारा 345 क्वि. 79 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ एवं 122 किग्रा. चीनी का गबन एवं दुरूपयोग करना पाया जाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवशयक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 एवं 17सी तथ्यों के आधार पर ही उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाकर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 16.01.2023 को निरस्त किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का प्रमुख उज्र यह रहा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. सिविल रीट पीटीशन नं.1256/2023 में आदेश दिनांक 23.01.2023 अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित किया है। जिसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की जा रही है के सन्दर्भ में पत्रावली में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. सिविल रीट पीटीशन नं.1256/2023 में आदेश दिनांक 23.01.2023 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार "उचित मुल्य की दुकान के लायसेंस का निलंबन 26 अगस्त 2022 से 90 दिवस समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो गया इसलिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की उचित मुल्य की दुकान को आवश्यक वस्तुओं की आपुर्ति तत्काल पुनः शुरु करे। तथापि, सक्षम प्राधिकारी याचिका पर लागाये गये कदाचार के आरोपो की कानून के अनुसार जांच करने के लिए स्वतंत्र है।" माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पूर्व जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा प्रश्नगत विभागीय प्रकरण सं. 61/2022 में अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत की जांच के आधार पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान कर जांच में उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम पोस कोड 6228 पर 158.26 क्विं गेहूं व 122 किग्रा चीन व उचित मुल्य दुकान छाजा भाग द्वितीय पोस कोड 6235 पर 187.53.500 क्विं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

गेहूं कुल 345.79.500 क्विं गेहूं एवं 122 किग्रा चीनी का गबन एवं दुरुपयोग प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 16.01.2023 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1264/2005 को निरस्त किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की अवहेलना नही हुई है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का एक अन्य उज्र यह रहा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी सिविल रीट पीटीशन नं. 18717/2025 में निर्णय दिनांक 25.09.2025 से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके सन्दर्भ में पत्रावली में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेश का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय द्वारा जो निषेधाज्ञा जारी की गई है वह जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानो के आवंटन बाबत् जारी विज्ञप्ति जिसका क्रमांक एफ1 ( ) रसद/ प्राधिकार/ 2025/ 179 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में सीरियल नंबर 28, बरजडिया (प्रथम) में अधिसूचित स्थान आवंटित करने की कार्यवाही नही करने निर्देशित किया है। जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी बांसवाडा की ओर से जारी की गई सूचना पत्रक स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ संलग्न किया है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.01.2023 पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा नही है।

अतः राशन डीलर श्री रुपलाल पिता श्री विजय पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बरजडिया भाग प्रथम, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा, राजस्थान के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 61/2022 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2023 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नही होता है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09-02-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाडा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.19 10:30:38 IST
Reason: SelfAttested